Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 150–2018/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, SEPTEMBER 8, 2018 (BHADRA 17, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 8th September, 2018

No. 34-HLA of 2018/63/19528.— The Haryana Dholidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Amendment Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 34 HLA of 2018

THE HARYANA DHOLIDAR, BUTIMAR, BHONDEDAR AND MUQARARIDAR (VESTING OF PROPRIETARY RIGHTS) AMENDMENT BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Dholidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Act, 2010.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Haryana Dholidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Amendment Act, 2018.

Amendment of section 1 of Haryana Act 1 of 2011.

2. For sub-section (4) of section 1 of the Haryana Dholidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Act, 2010, the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 9th June, 2011, namely:-

"(4) This Act shall be applicable to Dholidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar or any other similar class or category of persons of land belonging to private individual/entity which the State Government may notify in the Official Gazette and shall not be applicable to land owned or deemed to have been vested in the Panchayat or Municipality or land owned by any Government Department, Board or Corporation.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

An Act namely, The Haryana Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Act, 2010 (Act No. 1 of 2011) was enacted for vesting of proprietary rights in Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar vide Haryana Government Gazette (Extra), dated 4.3.2011. The Rules on the said Act were also framed vide notification dated 16.06.2011 namely, the Haryana Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Rules, 2011.

In this Act, there was no specific provision about the applicability of the Act to the Govt. lands, Gram Panchayats lands and Urban Local Bodies Lands or to the land deemed to have been vested in these bodies. However, in Sub-Rule 5 of Rule 3 of the Haryana Dholidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Rules, 2011, it is mentioned that if the owner of land is the Gram Panchayat or Shamilat Deh, an opportunity of being heard shall be provided to the Gram Panchayat concerned. Further, in Sub-Rule 2 of Rule 4 of the said Rules of 2011, it is provided that compensation in respect of Shamilat Deh or Panchayat Land shall be payable to the Gram Panchayat concerned. Due to this ambiguity, claims have been made in respect of lands belonging to Government including Boards and Corporations, Gram Panchayat and Urban Local Bodies etc.

In view of the above and to safeguard the interest of Gram Panchayats and Local Bodies, amendment in sub-section (4) of Section 1 of Haryana Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Act, 2010 is required to the effect that the provisions of Haryana Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Act, 2010 would be applicable to Dholidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar or any other similar class or category of persons which the State Government may notify in the Official Gazette, of land belonging to private individuals/entities only and will not be applicable to lands owned or deemed to have vested in the Local Bodies i.e Panchayat deh, Municipalities etc. & lands owned by any Government Department, Board or Corporation.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Revenue and Disaster Management Minister, Haryana

Chandigarh:
The 8th September, 2018.

SUBHASH CHANDER,
Additional Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या – 34 एच.एल.ए.

हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार

(मालिकाना अधिकार निहित करना) संशोधन विधेयक, 2018

हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार

(मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) संशोधन अधिनियमित, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम ।

2. हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 की धारा 1 की उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 9 जून, 2011 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :– 2011 का हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 1 का संशोधन ।

''(4) यह अधिनियम दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार या निजी व्यक्ति/संस्था जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे, से संबंधित भूमि के उसी प्रकार के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को लागू होगा तथा पंचायत या नगरपालिका के स्वामित्वाधीन या में निहित हुई समझी गई भूमि या किसी सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम के स्वामित्वाधीन भूमि को लागू नहीं होगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा सरकार के गज़ट (असाधारण) दिनांक 4–3–2011 द्वारा एक अधिनियम नामतः हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार और मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 1) दोहलीदारों, बूटीमारों, भोंडेदारों तथा मुकररीदारों में मालिकाना अधिकार निहित करने हेतु अधिनामित किया गया था। उक्त अधिनियम के नियम नामतः हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार और मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) नियम, 2011 भी अधिसूचना दिनांक 16–06–2011 द्वारा बनाये गए थे।

उक्त अधिनियम में सरकारी भूमि, ग्राम पंचायत भूमि तथा शहरी स्थानीय निकाय भूमि या भूमि जो इन निकायों में निहित मानी गई है, पर इस अधिनियम के लागू होने बारे कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। फिर भी हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार और मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) नियम, 2011 के नियम 3 के उप–नियम 5 में वर्णित है कि यदि भूमि का मालिक ग्राम पंचायत या शामलात देह है, तो सम्बंधित ग्राम पंचायत को सुनवाई का मौका प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उक्त नियमों के नियम 4 के उप–नियम 2 में यह प्रावधान है कि शामलात देह या पंचायती भूमि का मुआवज़ा सम्बंधित ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। इस अस्पष्टता के कारण, सरकारी भूमि जिसमें कि बोर्ड तथा कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय की से सम्बंधित भूमि पर दावे किए जा चुके हैं।

उपरोक्त के मध्यनज़र तथा ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के हित के बचाव के लिए हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार और मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 की धारा 1 की उप–धारा 4 में इस प्रभाव हेतु ताकि हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार और मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 के प्रावधान दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार और मुकररीदार या इसके समान व्यक्तियों की श्रेणी या वर्ग जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा शासकीय गज़ट में की जाएगी, भूमि जो कि केवल निजि व्यक्तियों/संस्थाओं पर लागू होंगे और स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत देह, नगरपालिकाओं की स्वामित्व वाली भूमि इत्यादि तथा किसी सरकारी विभाग, बोर्ड या कॉरपोरेशन इनमें निहित होने वाली भूमि पर लागू नहीं होंगे।

कैप्टन अभिमन्यु,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 8 सितम्बर, 2018.

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव।

56546—H.V.S.—H.G.P., Chd.